न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 60 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 23.05.2017

1–ताराचन्द पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–रामकरण पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3–रामलाल पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4–बनवारी पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
5–हनुमान पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
6–राजेन्द्र पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
7–गोविन्द पुत्र प्रताप जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–ओंकार पुत्र रामा जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–चिरंजीलाल पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
3–रामेश्वर पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
4–सुरेश पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
5–रधुवीर पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
6–मुकेश पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
7–मु0गंगा बेवा कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
8–हरजी पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
9–लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
10–राजाराम पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 27.02.2017 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी ओंकार आदि बनाम ताराचन्द आदि

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री तेजमल जैन,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय **दिनांक 29.06.2022**

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:26:44 IST
Reason: SelfAttested

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार नि[illegible] दिनांक 27.02.2017 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर [illegible] 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गंगापुरा पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्[illegible]नकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50

जिला कलेक्टर
टोंक

गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एंव मोखिक साक्ष्य का गहनता पूर्वक अवलोकन किया बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि विरूद्व पारित किया गया है,क्योकि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेण्ट्स दोनो ही रेगर जाति के सदस्य है,जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है,उक्त धारा मे कार्यवाही तभी ही चलने योग्य होती है जब भूमि अनुसूचित जाति की हो तथा उस पर सवर्ण व्यक्ति का कब्जा काश्त हो,परन्तु तथाकथित प्रकरण मे दोनो सदस्य अनुसूचित जाति से है। विवादित भूमि वर्षो पूर्व से ही आबादी भूमि है और मौके पर अपीलांट्स व अन्य व्यक्तियो के पुख्ता मकान व बाडे आदि बने हुये है। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि पर बने हुए मकानो पर बिजली व नल के कनेक्शन ले रखे है,उक्त भूमि कृषि भूमि के उपयोग की भूमि भी नही है। भूमि पर आबादी बसी होने से रेस्पोडेण्ट्स को सिविल न्यायालय के समक्ष बेदखली का वाद दायर करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर उक्त निर्णय पारित किया है। पटवारी रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि इस भूमि मे गांव की आबादी बसी हुई है,पूरे गांव के लोगो का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा मे नही आता है। अपीलांट्स ने उक्त भूमि को रेस्पोडेण्ट्स से क्रय करने के उपरान्त ही मकानो का निर्माण कार्य किया है। रेस्पोडेण्ट्स की नियत मे बेईमानी व जमीनो की कीमते बढ जाने से अपीलांट्स से पुनः रकम ऐठने की नियत से यह कार्यवाही की गई है। अपीलांट्स के अलावा भी उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियो के मकान बने हुये है,परन्तु प्रकरण मे उनके पक्षकार नही बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलाण्ट्स ने रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर पक्के मकानात, बाडे व लकडिया डालकर [illegible] कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी दिनांक 14.07.2009 पृष्ठ संख्या 428–31 उद्वरित किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:26:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक राजस्थान
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2068–71 वाके ग्राम गंगापुरा तहसील निवाई मे आराजी खसरा 01 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि मे से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट्स का तर्क है कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेण्ट्स दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी मे कार्यवाही तभी ही चलने योग्य होती है जब भूमि अनुसूचित जाति की हो तथा उस पर सर्वण व्यक्ति का कब्जा काश्त हो,परन्तु न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2013 (2) पृष्ठ संख्या 1272–74 से स्पष्ट है कि जब दोनो पक्षकार अनुसूचित जाति के है तो भी 183 बी के प्रावधान लागू होते है। अपीलांट्स ने अपील मीमो मे अंकित किया है कि उक्त भूमि को रेस्पोडेण्ट्स से क्रय करने के उपरान्त ही मकानो का निर्माण कार्य किया है, परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 01 रकबा 6 बीधा 6 बिस्वा मे से 1 बिघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गंगापुरा पर पांच पक्के कमरे, बाडे, लकडिया डालकर तथा पडत कब्जा किया जाना पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स एंव रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 27.02.2017 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:26:44 IST
Reason: SelfAttested